

इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

15वीं वार्षिक आम सभा की सूचना
बुधवार, 28 जून, 2017
पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING
Wednesday, 28th June, 2017
10.30 a.m.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

वेबसाइट : <http://www.allahabadbank.in>

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Website : <http://www.allahabadbank.in>



इलाहाबाद बैंक
Allahabad Bank

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

15वीं वार्षिक आम सभा की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of 15 th Annual General Meeting	बुधवार, 28 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027 Wednesday, the 28 th June, 2017 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027
सभा की कार्यसूची के मदों पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda items of the meeting.	बुधवार, 21 जून, 2017 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, the 21 st June, 2017 (Close of business hour)
बुक क्लोजर की तिथि Book Closure Date	गुरुवार, 22 जून, 2017 से बुधवार, 28 जून 2017 तक (दोनों दिन सहित) From Thursday, the 22 nd June, 2017 to Wednesday, the 28 th June, 2017 (both days inclusive)
प्राक्सी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने के लिए संकल्प(पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and copy of resolution(s) for appointing authorized representative(s)	शुक्रवार, 23 जून, 2017, अपराह्न 5.00 बजे तक upto 5.00 p.m. on Friday, the 23 rd June, 2017.
रिमोट ई-वोटिंग Remote e-voting	रविवार, 25 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से मंगलवार 27 जून, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक From 10.00 a.m. on Sunday, the 25 th June, 2017 to 5.00 p.m. on Tuesday the 27 th June, 2017.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा बुधवार, 28 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में निम्नांकित व्यवसाय (यों) के निमित्त आयोजित की जाएगी :

कार्यसूची मद संख्या 1

सामान्य व्यवसाय (सामान्य संकल्प):

यथास्थिति 31, मार्च 2017 एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, लेखा में शामिल अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण।

कार्यसूची मद संख्या 2

विशेष व्यवसाय(विशेष संकल्प):

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू आदि के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प पर विशेष संकल्प(यों) के रूप में विचार करना और उचित पाए जाने पर संशोधन(नों) सहित अथवा रहित पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (“योजना”) और इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 (“विनियम”) समय समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (“भारिबैंक”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे निबंधनों और शर्तों एवं उनमें संशोधन के अध्यक्षीन जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया जाए जिस पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो और विनियमो अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों और भारिबैंक, सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों अद्यतन संशोधित/ दिशानिर्देश तथा अन्य प्रयोज्य विधियों और समय समय पर अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों और सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद “निदेशक मंडल” कहा गया है, जिसमें वह समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जानी है) को दी जाती है कि वह बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर कुल ₹2000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अनधिक ₹10.00 प्रति के अंकित मूल्य के ऐसी संख्या में इक्विटी शेयर भारत या विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/सूचीपत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज के जरिए सृजन, प्रस्ताव निर्गम और आबंटन इस प्रकार करे (उस समय प्रयोज्य विधि द्वारा यथा अनुमत निर्गम के ऐसे भाग और ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों के फर्म आबंटन और अथवा/प्रतिस्पर्धी आधार संबंधी आरक्षण के प्रावधान सहित) कि भारत सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00% से कम धारण नहीं करेगी, चाहे एक या अधिक श्रृंखलाओं में बाजार मूल्य के प्रीमियम पर, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कंपनियों - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबीजी), यथा विदेशी संस्थागत निवेशको (एफआईआईजी), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआईजी), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या अन्य श्रेणी के निवेशकों जो मौजूदा विनियमों/दशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं या उपर्युक्त का कोई संयोग जैसा बैंक द्वारा उचित समझा जाए, सहित हो।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन इसके अधिक-आबंटन के विकल्प सहित या रहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू के रूप में या इनके संयोग के रूप में होगा और यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”)



ALLAHABAD BANK
Head Office : 2, N.S. Road, Kolkata-700 001

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Wednesday, the 28th June, 2017 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027, to transact the following business (es):

Agenda Item No. 1

Ordinary Business (Ordinary Resolution):

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item No. 2

Special Business (Special Resolution):

To raise equity capital through QIP/ FPO/ Rights issue etc.

To consider and if thought fit, pass, with or without modification(s), the following Resolution as **Special Resolution(s)**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10.00 each, aggregating to not more than ₹2000 crore (Rupees two thousand crore only) being within the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 52.00% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), Public Issue, Rights Issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines

और भारिबैंक, सेबी और यथाप्रयोज्य अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय पर इस प्रकार से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे, किया जाए।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर और इस प्रकार से जैसा अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों या अन्यथा के परामर्श से आवश्यक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों, कोई अन्य या सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक है अथवा नहीं, ऐसे मूल्य पर जो आईसीडीआर विनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम न हो, का निर्णय लेने का प्राधिकार होगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के उपबंधों, इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैटके) विनियम, 1999 के उपबंधों, आईसीडीआर विनियमों के उपबंधों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), उद्योग नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकरणों जो अपेक्षित हो (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से “समुचित प्राधिकरण” कहा गया है) से अपेक्षित अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा संस्वीकृतियों के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा संस्वीकृतियों (जिन्हें आगे “अपेक्षित अनुमोदन” कहा गया है) प्रदान करते समय इनमें से किसी द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से समय समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में इक्विटी शेयर या वारंटों से इतर प्रतिभूतियों का सृजन, निर्गम, प्रस्ताव और आबंटन कर सकता है, जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, इस प्रकार से कि केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00% से कम धारण न करे, क्यूआईबी हेतु, (आईसीडीआर विनियम में यथापरिभाषित) आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अंतर्गत यथाउपबंधित, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज/राइटिंग/परिपत्रों/ज्ञापनों आदि के माध्यम से और इस प्रकार और ऐसे मूल्यों, निबंधनों और शर्तों पर जैसा निदेशक मंडल द्वारा आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए।

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुसरण में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में:

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियम के अन्तर्गत परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा किया जाएगा।
- ख) बैंक, आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85 (1) के अंतर्गत परंतुक के अनुसरण में, विनियम में यथानिर्धारित आधार मूल्य पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक छूट के साथ शेयरों को प्रस्तावित करने हेतु प्राधिकृत है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।”-

“यह संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, निदेशक मंडल द्वारा यथा सहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प अनुसरण में नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का एनआरआई, एफआईआई, एफपीआईज और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथाप्रयोज्य भारिबैंक के अनुमोदन के अधीन किंतु अधिनियम में निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए शेयर इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैटके) विनियम, 1999, यथासंशोधित के अध्यक्षीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा किसी भी समय घोषित किए जाने वाले तथा ऐसी घोषणा के समय प्रभावी एवं मौजूदा सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के पात्र होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम/आबंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल, पब्लिक आफर की शर्तों के साथ साथ निवेशकों के वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा कि निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और करारों का निष्पादन करने जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा पब्लिक आफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम की आय के उपयोग के संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और बैंक के सर्वोत्तम हित में, शेयरधारकों से अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, अपने पूर्ण विवेक पर जैसा उचित और ठीक समझे, निबंधनों और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, भिन्नताओं, फेरबदल, विलोपन, वृद्धि को स्वीकार और प्रभावी करने और इस संकल्प के तहत बैंक को प्रदत्त सभी या किसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52.00% of the Paid up Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in ICDR Regulations) pursuant to Qualified Institutions Placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/ writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutions Placement (QIP) pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations;

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers as defined under ICDR Regulations and such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is, pursuant to proviso under Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI /RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs, FPIs and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker(s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s)

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए किसी मर्चेट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(यों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो इस प्रकार के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम प्रस्ताव में निहित अथवा संबद्ध हों के साथ किसी प्रकारकी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादन करने और ऐसी समस्त संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा तत्समान किसी स्वरूप में पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”-


“यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधक(कों), हामीदार(रों), सलाहकार(रों) और/अथवा अन्य व्यक्तियों जो कि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के परामर्श से ऐसा करने हेतु प्राधिकृत होगा कि वह निर्गम (मों) के स्वरूप एवं शर्तों का निर्धारण कर सकेगा जिसमें निवेशकों का वह वर्ग जिसे शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंटों का प्रयोग/प्रतिभूतियों के निर्मोचन, ब्याज दर, निर्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा निर्मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, अभिलेख तिथि अथवा बही बंदी का निर्धारण और संबद्ध एवं आनुषंगिक मामले, भारत और/अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता जैसा कि बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेकानुसार उचित समझा जाए, भी सम्मिलित है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसे शेयरों को जो कि सब्सक्राइब नहीं हुए हों, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए तथा विधि अनुसार अनुज्ञेय निष्पादित किया जा सकेगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल, इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इन संकल्पों के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (यों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

स्थान : कोलकाता
तारीख: 17 मई 2017

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."


"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Manager(s), Underwriter(s), Advisor(s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of these Resolutions."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 17th May, 2017

नोट्स :

1. कार्यसूची मद संख्या 2 पर व्याख्यात्मक विवरण:

व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें सभा की कार्यसूची मद संख्या 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है, एतद्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. प्राक्सी की नियुक्ति:

सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को प्राक्सी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे प्राक्सी का बैंक का शेयर-धारक होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700001 में बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कार्य समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठके) विनियमन 1999 के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सभा में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 में बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कार्य समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठके) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्राक्सी(यों) / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत कर दें।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बन्द किया जाना:

पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियाँ गुरुवार, 22 जून, 2017 से बुधवार, 28 जून 2017 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

6. लाभांश का भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

7. अदत्त/अदावाकृत लाभांश:

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी धनराशि जब ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि हेतु अदत्त/अदावाकृत रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956/2013 की धारा 205सी (1)/125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ.स. 7/93/2013-बीओए के तहत दिए गए निर्देशों/मार्गनिर्देशों के अनुसारण में वित्तीय वर्ष 2008-09 तक बैंक की अदत्त और अदावाकृत लाभांश की राशि "निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि" में अंतरित कर दी गई है वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अदत्त और अदावाकृत लाभांश की राशि "निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि" में अंतरित करने का कार्य प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 और उसके बाद अपना लाभांश प्राप्त/दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश वारंट की राशि जमा कराने हेतु अपने वैध दावे संबंधित बैंक विवरण सहित रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.पी-22, बंडेल रोड, कोलकाता-700019 को दाखिल करें।

8. वार्षिक रिपोर्ट/तुलन-पत्र की प्रतियां:

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वार्षिक आम सभा स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन की अपनी प्रतियां अपने साथ लेकर आए जो उन्हें बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते/ई-मेल आईडी पर भेजी/मेल की जा चुकी हैं।

9. शेयरधारकों की शंकाएँ:

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयर धारक समय रहते अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें ताकि बैंक को उनका प्रभावी उत्तर देने में आसानी हो।

10. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर संपर्क करें।

मे. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.

(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)

पी-22 बंडेल रोड,

कोलकाता-700019

टेली: 033-40116700

फैक्स: 033-40116739

ईमेल: rta@cbmsl.com

वेबसाइट: www.cbmsl.com

NOTES:**1. EXPLANATORY STATEMENT ON AGENDA ITEM NO. 2:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Agenda item No. 2 of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED AT SHARE DEPARTMENT, ALLAHABAD BANK, HEAD OFFICE, 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700001 NOT LESS THAN FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSE OF BUSINESS HOURS OF THE BANK I.E. UPTO 5.00 P.M. ON FRIDAY, THE 23RD JUNE, 2017. PLEASE NOTE THAT AN EMPLOYEE OR OFFICER OF ALLAHABAD BANK CANNOT BE APPOINTED AS PROXY AS PER PROVISIONS OF ALLAHABAD BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1999.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 23rd June, 2017. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from Thursday, the 22nd June, 2017 to Wednesday, the 28th June, 2017 (both days inclusive) in connection with the Fifteenth Annual General Meeting.

6. DIVIDEND FOR FY 2016-17:

The Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for FY 2016-17.

7. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends amounts of the Bank upto the Financial Year 2008-09 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund" and transfer of unpaid and unclaimed dividend of Bank for the Financial Year 2009-10 to "Investor Education and Protection Fund" is in process.

Further, it is requested that the Shareholders who have not received/claimed their dividend for Financial Year 2010-11 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, M/s CB Management Services (P) Ltd., P-22, Bondel Road, Kolkata-700019 alongwith his/her Bank detail for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her electronically.

8. COPIES OF ANNUAL REPORT/BALANCE SHEET:

The copies of Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, already sent/e-mailed by the Bank to them at their registered addresses/email id.

9. SHAREHOLDERS' QUERIES:

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

10. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) at the following address:-

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank),
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
Phone No. 033-40116700, 22806692, 22870263
Fax: 033-40116739,
E-mail: rta@cbmsl.com,
website: www.cbmsl.com.

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

<p>महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 दूरभाष सं. : 033-22104018 फैक्स सं. : 033-22104050 ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in</p>	<p>मुख्य प्रबंधक(कंपनी सचिव) शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड , कोलकाता - 700 001 दूरभाष सं. : 033-22420878 फैक्स सं. : 033-22623279 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in</p>
--	---

11. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैटक में उपस्थित होने और वोट डालने के हकदार शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थ स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथास्थिति 21 जून, 2017 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी।

ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने मै. नेशनल सिक््योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

12. ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक:

बैंक ने ई-वोटिंग की प्रक्रिया सुचितरूप से और पारदर्शिता से संचालित करने हेतु मै. एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कं., कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

13. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति:

- (i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार इस प्रयोजन हेतु निर्धारित 21 जून, 2017 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि) को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होगी।
- (ii) वोटिंग अवधि रविवार, 25 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और मंगलवार 27 जून, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा 27 जून, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे डिसेबल कर दिया जाएगा।
- (iii) यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- (iv) आरंभिक पासवर्ड और यूजर आईडी नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।
- (v) यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉच करें।
- (vi) शेयरहोल्डर-लागइन को क्लिक करें।
- (vii) यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डाल कर लागइन को क्लिक करें।
- (viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रकट होगा। इस पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड से बदलें जो न्यूनतम 8 अंकों/करेक्टर या दोनों के संगम से बना हो। नए पासवर्ड को नोट करें/याद रखें।
- (ix) यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किया अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (x) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग:एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
- (xi) इलाहाबाद बैंक का "EVEN" सलेक्ट करें।
- (xii) अब आप ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुल जाता है।
- (xiii) समुचित विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और "सबमिट" पर क्लिक करें और "कन्फर्म" करें।
- (xiv) कन्फर्मेशन होने पर "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश दिखाई देगा।
- (xv) यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति(पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) में वोट हेतु प्राधिकृत करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) विधिवत सत्यापित

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned address(es) for any assistance:

The General Manager (F&A), CFO and Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. -033-22104713 Fax No.-033-22106323 E-mail - gmfa@allahabadbank.in	The Chief Manager (Company Secretary) Share Deptt. & Investors' Grievance Cell Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.-033-22420878 Fax No.- 033-22623279 Email-investors.grievance@ allahabadbank.in
--	---

11. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting can exercise their voting rights through Remote e-voting.

E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 21st June, 2017 (Cut-off date fixed for the purpose).

The Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

12. SCRUTINIZER FOR E-VOTING:

The Bank has appointed Smt. Mamta Binani, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

13. PROCESS AND MANNER FOR REMOTE E-VOTING:

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on 21st June, 2017 (Cut-off Date fixed for the purpose).
- (ii) The remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on Sunday, the 25th June, 2017 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, the 27th June, 2017. The e-voting module shall be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on 27th June, 2017.
- (iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- (iv) Initial password and User ID are being sent along with the Notice.
- (v) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (vi) Click on Shareholder - Login.
- (vii) Insert user ID and password as initial password and click Login.
- (viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note/Remember new password.
- (ix) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- (xi) Select "EVEN" of Allahabad Bank.
- (xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- (xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (xiv) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- (xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at mamtab@mamtabinani.com, mamtabinani@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से mamtab@mamtabinai.com, mamtabinani@gmail.com मेल पर भेजेंगे और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजी जाएगी।


- (xvii) बहुविध फोलियो/डिमेट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फालियो/डिमेट खाते हेतु पृथक वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार से इतर किसी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10.00% से अधिक वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।**
- (xviii) कृपया नोट करें कि एक बार अपना वोट डालने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते या पन्द्रहवीं वार्षिक आम बैठक में मतदान में वोट नहीं कर सकते। तथापि आप बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।
- (xix) किसी प्रकार की पूछताछ हेतु आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें।
- (xx) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन कर सकते हैं जिनका उपयोग भविष्य में पत्राचार हेतु किया जा सकेगा।

14. एजीएम स्थल पर वोटिंग:

कार्यसूची पद पर चर्चा के पश्चात दोनों मर्दों के संबंध में मतदान किया जाएगा। मतदान का संचालन और पर्यवेक्षण इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले संवीक्षकों द्वारा किया जाएगा। आम बैठक में उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सहित मतदान के सकल परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से



(उषा अनन्तसुरेश्वर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

तारीख: 17 मई 2017

- (xvii) Shareholders holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10.00% of the total shareholding of the Bank.
- (xviii) Kindly note that once you have cast your vote, you cannot modify or vote on poll at the Fifteenth Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xix) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.
- (xx) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

14. VOTING AT THE AGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of both the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholder(s)/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO


Place : Kolkata
Date : 17th May, 2017

कार्यसूची मद संख्या 2 पर व्याख्यात्मक विवरण

बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाना:

- (i) बासेल III के अंतर्गत भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का न्यूनतम सीआरएआर दिनांक 31.03.2019 को इसकी जोखिम भारित आस्तियों का 11.50% होना चाहिए। इसमें से कामन इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) पूंजी 5.50% और पूंजी संपरिवर्तन बफर (सीसीबी) 2.50% होना चाहिए। भारिबैंक द्वारा निर्धारित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे मार्च, 2016 से मार्च 2019 तक प्रतिवर्ष 0.625% का वृद्धिमान पूंजी संपरिवर्तन वफर (सीसीबी) बनाए रखें और सीसीबी सीईटी। के रूप में होना चाहिए। सीसीबी/सीईटी की अतिरिक्त अपेक्षा हेतु और व्यवसाय वृद्धि हेतु आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान करने हेतु बैंक को पूंजी की सतत आवश्यकता है।
- (ii) बैंक ने आवश्यक पूंजी सहायता हेतु अपनी आवश्यकता भारत सरकार के समक्ष रखी है। बैंकअप व्यवस्था के रूप में बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू/प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे अन्य विकल्पों को भी खुला रखा है। इन विकल्पों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार और प्रचलित बाजार परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) उपर्युक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 में यथानिर्धारित ऐसे अन्य प्राधिकारियों के विधिवत अनुमोदन से तथा सेबी के प्रासंगिक दिशानिर्देशों/विनियमों और स्टॉक ढक्सचेंजों में सूचीबद्धता करार के अनुपालन में उगाही जाएगी।
- (iv) अतः निदेशक मंडल ने 17.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों एवं अन्य आवश्यक वैधानिक/निमाकिय अनुमोदनो के अध्यक्षीन, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से सकल ₹2000 करोड़ तक की बैंक का इक्विटी पूंजी जुटाने का अनुमोदन किया है और इस नोटिस में उल्लिखित संकल्प को पारित करने की संस्तुती की है।
- (v) बैंक के किसी भी निदेशक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति(यों) का उनकी बैंक में शेयरधारिता तक के सिवाय, उपर्युक्त संकल्पों में कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से



(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता


तारीख: 17 मई 2017

Explanatory Statement on Agenda Item No. 2

Raising of Equity Capital by the Bank :

- (i) As per RBI guidelines under Basel III, the Bank should have a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets by 31.03.2019. Out of which Common Equity Tier 1 (CET1) Capital should be 5.5% and Capital Conservation Buffers (CCB) of 2.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the Banks are required to maintain incremental Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% every year from March, 2016 to March, 2019 and the CCB should be in the form of CET 1 capital. For the additional requirement of CCB/CET 1 and to provide necessary capital support for business growth, the Bank is in continuous need of capital.
- (ii) The Bank had taken up this requirement with Government of India for necessary capital support. As a backup arrangement, the Bank has also kept other options open like QIP /FPO/Rights Issue/Private Placements to meet the capital requirement. These options will be exercised as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and shall be in compliance with the relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.
- (iv) The Board therefore in its meeting held on 17.05.2017 has approved to raise equity capital of the Bank aggregating upto ₹2000 crore through the different available options subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) None of the Directors and other Key Managerial Person (s) of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 17th May, 2017



इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने हेतु मैडेन फार्म

(भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु)

मैं/हमएतद्वारा मेरा लाभांश ईसीएस द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ/करते हैं:

मेरा/हमारा फोलियो सं. एएलबी शेयरों की संख्या

बैंक खाते का विवरण

- क. बैंक का नाम : _____
- ख. शाखा का नाम और पता : _____
- ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित बैंक शाखा की 9 अंकों वाली माइकर कूट सं : _____
- घ. आईएफएससी कोड : _____
- ङ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : _____
- च. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या : _____
- छ. शेयरधारक का एसटीडी कोड सहित टेलीफोन संख्या, / मोबाइल नं. : _____
- ज. ईमेल आई डी यदि कोई हो : _____

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने के कारण अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

शेयरधारक(कों) के हस्ताक्षर

सेवा में :

मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (यूनिट: इलाहाबाद बैंक) पी-22, बंडेल रोड, कोलकाता-700 019	अथवा मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव) शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
---	---

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते के संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी चेक का निरस्त कोरा पत्रा संलग्न करें।

यदि आप डिमेन फार्म में शेयर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मैडेन संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित फार्म में सीधे भेजें।



MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ELECTRONICALLY
(FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM)

I/We----- do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS.

My/Our Folio No. ALB..... No. of Shares.....

Particulars of Bank Account

- A. Bank Name : _____
- B. Branch Name and Address : _____
: _____
- C. 9 Digit MICR Code No. of the Bank Branch
Appearing on the MICR Cheque : _____
- D. IFSC Code : _____
- E. Account Type (Saving/Current) : _____
- F. Account No. as appearing in the Cheque Book : _____
- G. Telephone No. with STD Code/
Mobile No. of shareholder : _____
- H. Email ID, if any : _____

I/we hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information or due to any other technical error, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Mail to :

Signature of the shareholder(s)

Either M/s CB Management Services Pvt. Ltd. (Unit: Allahabad Bank) P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019	Or The Chief Manager (Company Secretary) Share Deptt. & Investors' Grievance Cell Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001
---	---

Please attach a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant (DP) directly, in the format prescribed by the concerned DP.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीख: बुधवार, 28 जून, 2017

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

मैं एतद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ :-

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक (कों)/ प्रॉक्सी (यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे असाधारण आम सभा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाले लिखत में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्तों के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में असाधारण आम सभा के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

१<----->१



इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

- नोट:
1. सभा के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
 2. जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे ईजीएम स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Fifteenth Annual General Meeting venue)

Day & Date: Wednesday, the 28th June, 2017

Time : 10.30 a.m.

Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

I hereby record my presence at the Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. / DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder(s)/Proxy (ies)/ Authorized Representative (s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/ Instrument appointing Proxy/Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

✂ ----- ✂



ALLAHABAD BANK

Entry-Pass

(To be retained throughout the Fifteenth Annual General Meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

- Note: 1. No gift/gift coupon will be distributed at the meeting.**
- 2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the AGM.**



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700 001

फार्म "बी"

परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक/सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. / डी पी आई डी एवं क्लाइंट आई डी

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनकी अनुपस्थिति में राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को दिनांक 28.06.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

इस पर.....2017 के.....दिन हस्ताक्षर किए।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाए

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तभी वैध होगा जब;
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी एवं कंपनी की मुहर, यदि हो, द्वारा निष्पादित की जाएगी या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- जिस परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- परोक्षी (प्रॉक्सी) के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टांम्पित न हो।
- बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
- यदि परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

नोट- नियुक्त किए गए परोक्षी (प्रॉक्सी) को सभा में सभा की कार्यसूची की मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"
 Form for Proxy
 (To be filled in and signed by the shareholder/member)

Regd. Folio No. / DPID & Client ID
--

I/Weresident/s of..... in the district of in the state of..... being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt..... resident of in the district ofor failing him/her. Shri/Smtresident of.....in the district ofin the state of..... as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 28.06.2017 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of 2017

Please affix One Rupee Revenue Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder
 Name
 Address


Instructions for signing and lodging the Proxy form


1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) in case of a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Share Department, Head Office of Allahabad Bank, not later than **FOUR Days** before the date of Fifteenth Annual General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 23rd June, 2017.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Fifteenth Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of meeting.

पन्द्रहवीं वार्षिक आम सभा
बुधवार, 28 जून, 2017
मार्ग मानचित्र

FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING
Wednesay, 28th June, 2017
Route Map





इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST